

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] No. 594] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2018/भाद्र 02, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2018/BHADRA 02, 1940

#### वित्त मंत्रालय

### (आर्थिक कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 804(अ).—केन्द्रीय सरकार, भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भगौड़ा आर्थिक अपराधी (कुर्की आदेश जारी करना) नियम, 2018 और भगौड़ा आर्थिक अपराधी (अनंतिम कुर्की आदेश जारी करना) नियम, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भगौड़ा आर्थिक अपराधी (संपत्ति की कुर्की की रीति) नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - 2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) "प्राधिकृत अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत उपनिदेशक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ख) "कुर्की आदेश" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति की कुर्की के लिए या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए आदेश अभिप्रेत है ;
  - (ग) "अधिनियम" से भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) अभिप्रेत है;
  - (घ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

4993GI/2018 (1)

- (2) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।
- (3) **कुर्की आदेश जारी किया जाना** (1) ऐसा निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी, जो इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश करता है या इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, भगौड़ा आर्थिक अपराधी को और ऐसे व्यक्तियों को, जो कुर्की आदेश में सूचीबद्ध किसी संपत्ति में हित रखते हों, जिनके अन्तर्गत संपत्तियों के कब्जेधारी व्यक्ति भी हैं, को कुर्की आदेश की एक प्रति पृष्ठांकित करेगा और विशेष न्यायालय को इसकी एक प्रति भी भेजेगा।
  - (2) कुर्की आदेश की तामील निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :—
  - (क) स्वामी या व्यक्ति या ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत व्यक्ति को कुर्की आदेश का परिदान करके या देकर ; या
- (ख) यदि उस समय, जब स्वामी या व्यक्ति पर कुर्की आदेश की तामील की जा रही हो, वह अपने निवास से अनुपस्थित है और युक्तियुक्त समय के भीतर निवास पर उसके पाए जाने की कोई संभावना नहीं है तथा उसने अपनी ओर से तामील स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं किया है, तो तामील, ऐसे स्वामी या व्यक्ति के कुटुंब में किसी ऐसे वयस्क सदस्य पर, जो उसके साथ निवास कर रहा है, की जा सकेगी;
- (ग) यदि तामील खंड (क) और खंड (ख) में उपबंधित रूप में नहीं की जा सकती है, तो तामील करने वाला अधिकारी उस परिसर के, जिसमें व्यक्ति या स्वामी निवास करता है या उसका अंतिम रूप से निवास किया जाना ज्ञात है या कारवार करता है या स्वयं अभिलाभ के लिए कार्य करता है या कार्य किया है, के किसी सहजदृश्य भाग पर कुर्की आदेश की दो प्रतियों में से एक प्रति चस्पा करेगा और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित होगी।
- (3) यदि तामील उपनियम (2) के अधीन नहीं की जा सकती है तो कुर्की आदेश किसी ऐसे प्रमुख समाचार पत्र में (देशी भाषा और अंग्रेजी दोनों में), जिसका क्षेत्र में या उस अधिकारिता में व्यापक परिचालन है, जिसमें व्यक्ति निवास करता है या उसका अंतिम रूप से निवास किया जाना ज्ञात है या उसने कारबार किया है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है या अंतिम रूप से कार्य किया है, प्रकाशित किया जाएगा।
- (4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्वामी या व्यक्ति पर कुर्की आदेश, इसके साथ-साथ उसके निवास के स्थान के पते पर या उसके निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर या ऐसे स्थान पर, जहां उसने कारबार किया है या अंतिम रूप से कारबार किया है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है या अंतिम रूप से कार्य किया है, परिदान के सबूत के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा तामील किया जा सकेगा।

### 4. निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासों इत्यादि पर कुर्की आदेश की तामील—

- (1) (क) निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासों इत्यादि पर कुर्की आदेश की, निगमित निकायों, सोसाइटियों और न्यासों, इत्यादि के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या प्रधान अधिकारी पर तामील किया जाएगा या भारत में ऐसे निकायों के मुख्य अधिकारी के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा पत्र भेजकर की जाएगी, जिस मामले में यह समझा जाएगा कि तामील कर दी गई है;
- (ख) यदि खंड (क) में उपबंध किए गए अनुसार तामील नहीं की जा सकती है तो तामील करने वाला अधिकारी उन परिसरों के किसी ऐसे सहजदृश्य भाग पर कुर्की आदेश की एक प्रति चस्पा करेगा, जिनमें निगमित निकाय, सोसाइटी और न्यास, इत्यादि कार्यालय में कारबार करते हैं या अंतिम रूप से कारबार किया है।
- (2) यदि उपनियम (1) के अधीन तामील नहीं की जा सकती, तो कुर्की आदेश किसी ऐसे मुख्य समाचार पत्र में (देशी भाषा और अंग्रेजी दोनों में), जिसका क्षेत्र में या उस अधिकारिता में व्यापक परिचालन है, जहां निगमित निकाय, सोसाइटी और न्यास कारबार करते हैं या अंतिम रूप से कारबार किया है, प्रकाशित किया जाएगा।

[फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डा. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Economic Affairs)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2018

**G.S.R. 804(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Issuance of Attachment Order) Rules, 2018 and the Fugitive Economic Offenders (Issuance of Provisional Attachment Order) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Manner of Attachment of Property) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
- (a) "authorised officer" means an officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules;
- (b) "attachment order" means an order for attachment of property under sub-section (1) or provisional attachment of property under sub-section (2), of section 5 of the Act;
- (c) "Act" means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018);
- (d) "section" means a section of the Act.
- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. **Issuance of attachment order.**—(1) The Director or any authorised officer who makes an order for attachment of property under sub-section (1) or who provisionally attaches any property under sub-section(2), of section 5 of the Act shall endorse a copy of the attachment order to the fugitive economic offender and to persons who may have interest in any of the property listed in the attachment order including the persons in possession of the properties and a copy shall also be addressed to the Special Court.
- (2) The service of attachment order shall be done in the following manner, namely:—
- (a) by delivering or tendering the attachment order to the owner or person or to the person duly authorised by such owner or person; or
- (b) if the owner or person is absent from his residence at the time when service of the attachment order is being effected on him and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time and he has not duly authorised any person to accept the service on his behalf, service may be made on any adult member in the family of such owner or person who is residing with him; or
- (c) if the service cannot be effected as provided in clauses (a) and (b), the serving officer shall affix one of the duplicate of the attachment order at some conspicuous part of the premises in which the person or owner resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and that the written report thereof shall be witnessed by two persons.
- (3) If the service cannot be effected under sub-rule (2), then the attachment order shall be published in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the

area or jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

- (4) Notwithstanding anything contained in this rule, the attachment order may be sent to the owner or person simultaneously by speed post with proof of delivery at the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain.
- 4. **Service of attachment order on corporate bodies, societies and trusts, etc.—**(1) (a) The attachment order on corporate bodies, societies and trust etc., shall be effected by serving it on the secretary, local manager or the principal officer of the corporate bodies, societies and trust etc., or by letter sent by speed post addressed to the chief officer of such bodies in India, in which case the service shall be deemed to have been effected.
- (b) If the service cannot be effected as provided in clause (a), the serving officer shall affix one of the duplicate of the attachment order at some conspicuous part of the premises in which the office of the corporate body, society and trust etc., carries on business or has last carried on business.
- (2) If the service cannot be effected under sub-rule (1), then the attachment order shall be published in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction where the corporate body, society and trust etc., carries on business or has last carried on business.

[F. No. 6/3/2017-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सा.का.नि.805(अ).—केंद्रीय सरकार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भगोड़ा आर्थिक अपराधी (भगोड़ा आर्थिक अपराधी की घोषणा के लिए लिए आवेदन)नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी की घोषणा ( आवेदन फाईल करने का प्रारुप और रीति) नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) "प्राधिकृत अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो;
- (ख) "अधिनियम" से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) अभिप्रेत है।
- (2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।
- 3. **किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रुप में घोषणा करने के लिए आवेदन का प्ररुप और रीति**—(1) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित सामग्रियों से युक्त एक अनुक्रमणिका तैयार करेगा अर्थात्:—